प्रेस नोट ***दिनांक 06/09/2025***

खाता अपडेत करने के नाम पर किये गए फ्राड का कुल 344620 (तीन लाख चौवालीस हजार छः सौ बीस) रुपये साइबर क्राइम पुलिस थाना मऊ द्वारा कराया गया वापस–

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर/अपराध महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये खाता अपडेत करने के नाम पर किये गए फ्राड का कुल 344620 (तीन लाख चौवालीस हजार छः सौ बीस) रुपये आनलाइन ठगी के शिकार आवेदक मोहम्मद अबुसाद कादरी पुत्र जमाल मुस्तफा कादरी ग्राम बडागाँव थाना घोसी जनपद मऊ। जनपद मऊ का कुल 344620 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1-निरी0 श्री आकाश सिंह, प्रभारी साइबर क्राइम थाना मऊ।

2-उ0नि0 राजेश्वर पाण्डेय प्रभारी साइबर सेल

3-मु0आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया, साइबर क्राइम थाना मऊ।

4-आरक्षी शाशिकान्त मणि त्रिपाठी, साइबर क्राइम थाना मऊ।

5-आरक्षी अर्वेन्द्र प्रताप मिश्रा साइबर क्राइम थाना मऊ।

6-आरक्षी प्रदीप पटेल साइबर क्राइम थाना मऊ।

7-आरक्षी अनुप यादव साइबर क्राइम थाना मऊ।

8-आरक्षी प्रभात कुशवाहा साइबर क्राइम थाना मऊ।

एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक अदद स्कार्पियों, 2 अदद बकरा जिन्दा हालात मे व 1 अदद चाकू (सब्जी काटने वाली) बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अजंनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.09.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बढ़ुआ गोदाम के पास से मु0अ0सं0 385/25 धारा 303(2), बीएनएस से संबंधित अभियुक्त राजू यादव पुत्र इन्द्र देव निवासी बकुलियापुर पो0 बीकापुर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजीपुर के कब्जे से चोरी की एक अदद स्कार्पियों न0 (UP61U 5554), 2 अदद बकरा जिन्दा हालात मे व 1 अदद चाकू (सब्जी काटने वाली) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में धारा 317(2),317(4) बीएनएस की बढोत्तरी कर अभियुक्त को चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अभियुक्त राजू यादव पुत्र इन्द्र देव निवासी बकुलियापुर पो0 बीकापुर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजीपुर

बरामदगी–

1. 01 अदद स्कार्पियों न0 (UP61U 5554)

2. 2 अदद बकरा जिन्दा हालात

3. 1 अदद चाकू (सब्जी काटने वाली) ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त–

1. मु0अ0स0 53/2009 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

2. मु0अ0सं0 509/2008 धारा 379,441भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3. मु0अ0सं0 14/2009 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम थान शादियाबाद जनपद गाजीपुर

4. मु0अ0सं0 1147/ धारा 356,379,411 भादवि।

5. मु0अ0सं0 1223/2008 धारा 307 भादवि।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 विकास कुमार बर्मा थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ।

2. का0 पवन कुमार थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ।

3. का0 शशीकान्त पटेल थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹6,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय न्यायालय महिला कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 06-09-2025 को मु0अ0सं0 136/2001 धारा 498A भादवी व 3/4 डीपी एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त आनंद गुप्ता पुत्र लालचंद गुप्ता थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹6,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री अभिनव शुक्ल (एपीओ), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।